patnawomenscollege.in/journal

Sociology
Explore, 2010, Page No. 120-123
Vol. II No. I

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

A Sociological Study of Women Empowerment in Panchayati Raj

अर्पणा रानी*, गीतांजली कुमारी*, कामना भारती*, रीता कुमारी**

*बी०ए० तृतीय वर्ष, समाजशास्त्र विभाग, सत्र-2007-2010, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना

**व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। उपर्युक्त समस्या के प्रस्तुतीकरण के लिए यह परिकल्पना बनाई गई कि सैद्धांतिक रुप से किसी भी संस्कृति में महिलाओं के प्रति पुरुषों एवं समाज का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है ?

प्रस्तुत शोध संकलन में क्षेत्रीय स्रोतों और प्रलेखीय स्रोतों द्वारा दानापुर पंचायती क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति को प्रत्यक्ष रुप से समझने के लिए क्रमशः 20 महिलाओं द्वारा सर्वेक्षण कार्य लिया गया, जिसमें विभिन्न आधार जैसे- आयु, जाति, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति राजैनतिक सहभागिता, घरेलू कार्यों में कठिनाई, दैनिक जीवन में निर्णय लेने तथा महिलाओं के आरक्षण का वर्गीकरण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। स्पष्टतः वर्तमान सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए उपयोगी कार्य किये जा रहे हैं जिसमें केन्द्र की अपेक्षा राज्य की सरकारें ज्यादा सक्रिय हैं। उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में यह सुझाव दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। निर्णय लेने से स्वयं महिला का ही नहीं बल्कि 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से समुचित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति चले आ रहे भेदभाव के निवारण में सराहनीय भूमिका देखी जा रही है ।

शब्द कुँज ***(Key words):*** सशक्तिकरण, अभिप्राय, चहुँमुखी विकास, नीति निर्धारण, दस्तावेज, भागीदारी, प्रजनन अधिकार ।

परिचय पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण समाज व संस्कारों की पृष्ठिभूमि से प्राप्त की हुई चहुँमुखी विकास की संभावनाओं को खोलने का एक द्वार है । जिसका अभिप्राय- सत्ता, प्रतिष्ठा में निर्णय लेने की क्षमता तथा उनके सामाजिक, आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी एवं प्रजनन अधिकारों को सम्मिलित कर शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है । भारतीय संविधान नारी हितों की दिशा में महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।

मूलतः 73वें संविधान संशोधन लागू होने से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्या एवं उनका वर्तमान समय (1 अप्रैल 2005) में इस प्रकार है :-

पंचायत	संख्या	महिलाओं की संख्या
ग्राम पंचायत	2,34,676	40%
मध्यवर्ती पंचायत	6,097	40%
जिला पंचायत	537	40%

पंचायत में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण से उनकी भागीदारी की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण है, जिसमें महिलाओं की प्रगति विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना, जिससे उन्हें उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन भी मिल सके। मुख्य उद्देश्य - पंचायती राज में कितनी प्रतिशत महिलाएँ सशक्त हैं इसे पता करना ।

परिकल्पना

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण के प्रति महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की मनोवृत्ति भी अधिक सकारात्मक प्रतीत हुई है। पुरुष महिलाओं की भागीदारी पंचायत में किस हद तक सकारात्मक मानते हैं ।

अध्ययन प्रणाली

प्रस्तुत शोध में तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय स्रोतों द्वारा दानापुर पंचायती क्षेत्रों की क्रमशः 20 महिलाओं की स्थिति की साक्षात्कार विधि द्वारा संकलन किया गया ।

शोध विषय

प्रस्तुत शोध कार्य में नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलेखीय स्रोतों द्वारा भी विभिन्न परिप्रेक्ष्य में जैसे - आयु, लिंग, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, राजनैतिक सहभागिता, दैनिक जीवन में अंतिम निर्णय लेने, घरेलू कार्यों में कठिनाई तथा महिलाओं के लिए आरक्षण के स्तरों का वर्गीकरण निम्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है ।

परिणाम एवं विवेचना

प्राप्त परिणामों की विवेचना विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से उत्तरदाताओं की संख्या एवं प्रतिशत के आधार पर की गई है ।

सारणी - 1
महिला उत्तरदाताओं के आयु के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	आयु वर्ग						
	30 – 40		0 – 50		50 –		
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	5	25%	12	60%	3	15%

कुल सहभागी महिला उत्तरदाताओं में आयु के आधार पर 30-40 उम्र वर्ग की महिलाओं में 25% महिलाओं की सहभागिता पायी गयी । उसी प्रकार 40-50 उम्र वर्ग की महिलाओं की सहभागिता 60% के करीब थी, जबकि 50 से अधिक उम्र की महिलाओं की सहभागिता 15% पायी गयी।

सारणी - 2
महिला उत्तरदाताओं के आयु के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	जाति						
	यादव		कहार		कुशवाहा		
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	9	45%	6	30%	5	25%

कुल सहभागी महिला उत्तरदाताओं में 45% यादव जाति, 30% कहार जाति तथा 25% कुशवाहा जाति की महिलाएँ शामिल थीं ।

उपर्युक्त सारणी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उच्च जाति की महिलाओं के साथ-साथ निम्न जाति की महिलाओं की भी राजनीति में सहभागिता बढ़ी है, तथा वो भी महिला सशक्तिकरण के अंग के रुप में उभर कर सामने आ रही हैं

सारणी - 3
महिला उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	शैक्षणिक स्थिति				
	शिक्षित		अशिक्षित		
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	8	40%	12	60%

शैक्षणिक स्थिति के आधार पर इनमें पाया कि कुल सहभागी महिलाओं में 40% महिलाएँ शिक्षित है तथा 60% महिलाएँ अशिक्षित हैं। प्रस्तुत सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति असराहनीय है ।

सारणी - 4
महिला उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	वैवाहिक स्थिति				
	वैवाहिक		अवैवाहिक		
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	17	85%	3	15%

वैवाहिक स्थिति के आधार पर यह पाया कि 35% महिलाएँ विवाहित हैं तथा 15% महिलाएँ अविवाहित है।

उपर्युक्त सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीति सहभागिता को बढ़ाने में पुरुषों का सबसे बड़ा योगदान है।

सारणी - 5
महिला उत्तरदाताओं का राजनीति में सहभागिता की प्रेरणा के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	राजनीति सहभागिता की प्रेरणा						
	पति		परिवार		समाज		
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	11	55%	3	15%	6	30%

महिला उत्तरदाताओं की राजनीति में सहभागिता की प्रेरणा के आधार पर यह पाया गया कि उन्हें 55% पति के द्वारा 15% परिवार के द्वारा जबकि 30% समाज के द्वारा इसकी प्रेरणा मिली है । प्रस्तुत सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज के साथ-साथ उनके पति तथा परिवार के लोगों के द्वारा भी उन्हें काफी प्रेरित किया जा रहा है ।

सारणी - 6

महिला उत्तरदाता का अंतिम निर्णय लेने के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या		स्वयं के प्रति निर्णय		पति के द्वारा लिये गये निर्णय		सास-ससुर द्वारा दिए गए निर्णय	
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	15	75%	5	25%	0	%

कुल सहभागी महिला उत्तरदाताओं में 75% महिलाएँ अपने कार्यों का अंतिम निर्णय स्वयं लेती हैं। 25% उनके पति के द्वारा लिए जाते हैं जबकि सास-ससुर के द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतिशत नगण्य है ।

उपर्युक्त सारणी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई हैं तथा अपने कार्यों के अंतिम निर्णय भी स्वयं लेने लगी हैं। इससे पता चलता है कि अब वो अपने पति तथा परिवार पर आश्रित नहीं है बल्कि परिवार में आर्थिक सहभागिता भी इनके द्वारा सम्पन्न हो रही है ।

सारणी - 7

महिला उत्तरदाताओं को घरेलू कार्यों में होनेवाले कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	घरेलू कार्यों में कठिनाइयों की स्थिति				
	हाँ			नहीं	
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	8	40%	12	60%

महिला उत्तरदाताओं की राजनीति कार्य के साथ-साथ घरेलू कार्यों को करने में होने वाली कठिनाईयों के आधार पर 40% महिलाओं ने हाँ में जबाव दिया जबकि 60% का जबाव नहीं था ।

सारणी - 8

महिला उत्तरदाताओं के आरक्षण के स्तर पर वर्गीकरण

सर्वेक्षण किए गए उत्तरदाताओं की संख्या	आरक्षण के स्तर				
	केन्द्रीय स्तर			राज्य स्तर	
संख्या	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
20	100	4	20%	16	80%

कुल सहभागी महिला उत्तरदाताओं में 20% महिलाओं का यह मानना है कि उन्हें केन्द्रीय स्तर पर आरक्षण मिला है जबकि 80% महिलाओं का यह मानना है कि उन्हें राज्य स्तर पर आरक्षण दिया गया है ।

प्रस्तुत सारणी के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें केन्द्र के अपेक्षा राज्य की सरकारें ज्यादा सक्रिय हैं। जिनके अथक योगदान से ही यह कार्य सफल हो सका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार, राज्यपाल के कार्यालय की तरह ही मुखिया का कार्यालय भी प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी होना चाहिए, जिसके द्वारा विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से क्षेत्र को प्रभावी किया जा सके ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

पंचायती राज में महिला, सशक्तिकरण की भूमिका सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं सत्ता संचालन में भागीदारी मिलने से स्वयं महिलाओं का ही नहीं, बल्कि समुचित ग्रामीण क्षेत्र का काया पलट करने से मदद मिल रही है, जो महिलाओं के उपयोग के लिए उचित है। महिलाओं को पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से गाँवों के परम्परागत ढाँचों में एक बदलाव आया है। महिलाओं के प्रति चले आ रहे भेदभाव के निवारण में सराहनीय भूमिका देखी जा रही है ।

पंचायती राज द्वारा जिन उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें आ रही बाधाओं के निराकरण की दिशा में **सूचना का अधिकार 2005** एक क्रांतिकारी मदद साबित हो रहा है ।

आज महिला पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। खासतौर से, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्णय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ताकि विकास कार्य बाध्यकारी न बनाकर ऐच्छिक या स्वाभाविक बनाया जा सके। यह कार्य कठिन अवश्य है, किन्तु असंभव नहीं है ।

संदर्भ की पुस्तकें

1. गुप्ता कमलेश कुमार, (2005), महिला सशक्तिकरण बुक सन क्लेब जयपुर, भारत।
2. डॉ० राज कुमार, (2003), भारतीय नारी, सामाजिक अध्ययन अर्जुन पब्लिशिंग हाउस ।
3. सुमन कृष्णकांत, (2001), इक्कीसवीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4. सुभाषा शर्मा, (2006), भारतीय महिलाओं की दशा आधार प्रकाशन पंचकूला (हरियाणा) ।
5. मैगजीन, (मार्च 2009), प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन।
6. पंचायती राज व्यवस्था, बी० आर० कृष्ण अय्यर ।

7. भारत में पंचायती राज, अजीत मिश्रा ।

8. पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, मुरलीधर सिंह ।

9. भारत में पंचायती राज व्यवस्था, प्रमोद कुमार अग्रवाल ।

10. कुरुक्षेत्र, अगस्त 2007 ।

11. इंडिया टुडे, फरवरी 2008 ।

12. हिन्दुस्तान, 12 अगस्त 2007 ।

13. दैनिक जागरण, 5 जुलाई 2006 ।

14. योजना, दिसम्बर 2007

पुस्तक- संग्रहालय

खुदाबक्श लाइब्रेरी

सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी

ए०एन० सिन्हा संस्थान लाइब्रेरी, पटना